न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस
प्रकरण सं. 221/14/टीआई

1. भोपालराम पुत्र श्री मेघाराम आयु 33 साल जाति जाट निवासी पुनियाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. गिरधारीलाल } पुत्रगण मेघाराम
2. जगदीश प्रसाद }
3. रतनलाल }
4. गलकूदेवी } पुत्रियां मेघाराम
5. मिश्रीदेवी }
6. मंजूदेवी }
7. मांगूराम पुत्र लिछमण
   समस्त जाति जाट निवासीगण पुनियाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
8. काना पुत्र गोपी जाति बलाई नि0 पुनियाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
9. सुरजीदेवी पत्नी जीवणराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
10. पटवारी हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिलासीकर
11. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
12. तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण/अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—
1- श्री आनन्द राड़ वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री नंदलाल धायल वकील अप्रार्थी सं. 1 व 8 की ओर से

निर्णय दिनांक— 06.07.2015

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित भूमियां खसरा नं. 157 ता 159, 162, किता 4 कुल रकबा 3.04 है0 वाके ग्राम पुनियाणा प.मं. धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में विवादित भूमियों में खातेदार मोहरी पत्नी मेघाराम का देहान्त हो चुका है एवं उक्त वर्णित मोहरी के आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 ता 6 विधिक वारिसान है। उक्त आराजी में मोहरी का 1/30 हिस्सा था। अब उक्त मोहरी के हिस्से में आवेदक का 1/210 हिस्सा बनता है जिस पर आवेदक बहैसियत मालिक काबिज काश्तकार चला आ रहा है इसलिए

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ

आवेदक को उक्त आराजी में 210 हिस्से का खातेदार उद्घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल दरामद किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित आराजियात का पक्षकारों के मध्य बाई मिट्सस एण्ड बाउण्डस विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा पक्षकार अपने अपने हिस्से पर कभी शामिल में तो कभी अलग अलग काश्त कर अपना एवं अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते चले आ रहे है। वर्तमान में विवादित आराजियात का बाजार मूल्य अधिक हो गया है एवं अनावेदकगण के मन में बदनियति आ गई है इसलिए अनावेदकगण आवेदक का उसके हक हिस्से से बलात बेदखल कर आवेदक को उसके अधिकारों से महरूम कर बाला बाला ही भू माफिया किस्म के लोगों से साजकर उक्त आराजियात को बिना विधिक बंटवारा करवाये ही रहन, बेचान एवं हस्तांतरित करने पर आमदा है जिसका कि उन्हें कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित है। अगर अनावेदकगण आवेदक को उसके हक हिस्से से बलात बेदखल कर एवं मनचाहे भूभाग पर कब्जा कर उक्त आराजी का बिना विधिक बंटवारा करवाये ही भूमाफिया किस्म के लोगों को रहन, बेचान एवं हस्तांतरण करने में कामयाब हो गये तो आवेदक के मूलभूत सांपति अधिकारों का हन होगा तथा आवेदक को इस कदर अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी बाद में कानूनी तौर पर किया जाना कतई संभव नहीं है तथा अनावश्यक मुकदमें बाजी को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है एवं अगर अनावेदकगण अपनी कुयोजना में सफल हो गये तो असीम क्षति भी आवेदक को ही होगी इसलिए भी अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना अति आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजियात का बिना विधिक बंटवारा करवाये किसी अन्य को रहन, बेचान एवं हस्तांतरण करने, आवेदक के कब्जे काश्त में दखंलदाजी करने, एवं आवेदक को बलात बेदखल करने, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करने एवं उक्त भूमियों को खुर्द बुर्द करने से अनावेदकगण को मय उनके नौकर, एजेंट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ता 5, 9 ता 12 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 व 8 की ओर से वकील श्री नंदलाल धायल उपस्थित हुए व बिन्दुवार जवाब आवेदन पेश कर विशेष कथन में निवेदन किया कि ग्राम पुन्याणा प.मं. धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की सरहद में अवस्थित हाल आराजियात ख.नं. 157 ता 159, 162 किता 4 कुल रकबा 3.04 है. अवस्थित है जिनमें अनावेदक सं. 1 का 4/105 हक हिस्सा एवं अनावेदक सं. 8 का 1/2 हक हिस्सा है जो राजस्व रिकार्ड से पूर्णतया प्रमाणित है। उक्त आराजियात आवेदक एवं अनावेदकगण सं. 1 ता 9 की संयुक्त भूमियां है जिनका आवेदक एवं अनावेदकगण ने मौखिक रूप से मौके पर अन्दाज में विभाजन कर रखा है। वादाधीन कृषि आराजियात को उतरदातागण मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं हक हिस्से के उक्त कृषि आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाने बाबत आवेदक से आग्रह कर रहे एवं उतरदातागण आज भी बाई मिट्सस एण्ड बाउण्डस बंटवारा मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

राजस्व रिकार्ड करवाने के लिए तत्पर है किन्तु आवेदक के मन में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाने की भावना न होकर उक्त भूमियों को विवादित रखने हेतु उनवानी प्रकरण को प्रस्तुत किया है इसलिए आवेदक द्वारा वेगसेशन आधारों पर एवं न्यायालय का समय जाया करने की दुर्भावना से प्रस्तुत किया गया आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। उतरदातागण वादाधीन भूमियों के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर आवेदक के सह खातेदार है इसलिए कानूनन रूप से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है इसलिए आवेदक का प्रस्तुत आवेदन खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी ख.नं. 157 ता 159, 162 किता 4 कुल रकबा 3.04 है0 वाके ग्राम पुन्याणा प.मं. धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें खातेदारी मोहरी पत्नी मेघाराम का देहान्त हो जाने पर उक्त वर्णित मोहरी के आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 ता 6 विधिक वारिसान है एवं मोहरी के 1/30 हिस्सा जिसमें से आवेदक का 1/120 हिस्सा बनता है। विवादित आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त विवादित आराजियात संयुक्त अविभाजित होने के कारण प्रत्येक इंच पर आवेदक का कब्जा माना जाता है एवं अनावेदकगण के मन में बदनियति आ जाने के कारण वे उक्त विवादित आराजियात को बिना विधिक बंटवारा करवाये ही बेचान पर आमादा है एवं आवेदक के हक हिस्से से बलात बेदखल कर आवेदक को उसके खातेदारी अधिकारों से महरूम रखना चाहते है। अनावेदकगण आवेदक को उसके हक हिस्से से बलात बेदखल करने पर आमादा है एवं बलपूर्वक स्वयं कब्जा करना चाहते है जिनका उन्हें कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है इस प्रकार प्रथमदृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में है एवं सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है। उक्त विवादित आराजी में आवेदक का 1/120 हक हिस्सा है एवं उक्त आराजी शामलाती होने के कारण प्रत्येक इंच पर आवेदक का कब्जा है इस प्रकार अगर उक्त विवादित आराजी से आवेदक को बेदखल कर दिया जाता है एवं अन्य को आराजी हस्तांतररित कर दी जाती हे तो असीम क्षति आवेदक को ही होगी इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी सं. 1 व 8 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादाधीन भूमियों की खातेदार मोहरी पत्नी मेघाराम का देहान्त होने पर विरासत का ना.करण सं. 492 दिनांक 22.9.2014 को आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 ता 6 के नाम से स्वीकृत होकर राजस्व रिकाड में अंकन हो चुका है। विवादित आराजी संयुक्त राजस्व रिकार्ड की कृषि आराजियात है जिनका आवेदक एवं अनावेदकगण ने मौखिक रूप से मौके पर अंदाज में विभाजन कर रखा है आवेदक न ही तो वादाधीन भूमियों का राजस्व रिकार्ड में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करने के लिए कभी उतरदातागण से मिला ओर न ही उतरदातागण ने आवेदक को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने से इंकार किया है। आवेदक ने अपने वाद पत्र में एवं टीआई आवेदन में कहीं भी यह अभिकथित नहीं किया है कि अनावेदकगण आवेदक के हक हिस्से को एवं स्वामित्व को इंकार कर रहे है। आवेदक स्वयं अपने अभिकथनों में वर्णित करता है कि वादाधीन भूमियों पर आवेदक कभी शामिल में एवं कभी अलग अलग काश्त कर अपने परिवार का

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

जीवन यापन करता है। आवेदक वादाधीन भूमियों की खातेदारी मोहरी पत्नी मेघाराम की खातेदारी शुदा 1/30 हिस्से की भूमि में से अपने 1/210 हिस्से की उद्घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की इस्तदुआ चाही है जो आवेदक ने बिना राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के ही उनवानी अवेदन मय वाद में प्लीड कर दी इसलिए आवेदक का प्रथमदृष्टया मामला किसी भी प्रकार से नहीं बनता है। उतरदातागण वादाधीन भूमियों के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर आवेदक के सह खातेदार काश्तकार हे आवेदक द्वारा अपने वाद पत्र में अपने हक हिस्से को विवादित नहीं बताया हे तथा राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से भी यह पूर्णतया प्रमाणित है कि आवेदक का जो हक हिस्सा स्व. मोहरी पत्नी मेघाराम की विरासत में बतौर वारिस होना चाहिए वह पहले से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आवेदक अपने हिस्से की आराजी का अपने हिस्से के अनुरूप उपयोग एवं उपभोग कर रहा है। उतरदातागण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से उतरदातागण अपने हक हिस्से की भूमियों के स्वतंत्र उपयोग व उपभोग से वंचित हो जायेगे तथा मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से आवेदक के बजाय उतरदातागण को ही अपूर्तनीय क्षति होगी तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में न होकर उतरदातागण के पक्ष में है क्योंकि वादाधीन आराजी संयुक्त राजस्व रिकार्ड की भूमि है तथा उतरदातागण वादाधीन आराजी के सह स्वामी है। संयुक्त खाते की आराजी में समस्त अंशधारी संपूर्ण भूमि पर काबिज होते है इसलिए सहखातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि खातेदार कृषक स्वयं की खातेदारी भूमि बाबत (स्वय के हिस्से तक) ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है न कि संपूर्ण भूमि के लिए। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अं.धारा 212 रा.का.अ. सीपीसी की धारा 35(क) के तहत खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

4. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2068–71 ग्राम पुन्याणा खाता सं. 32 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में ना.करण सं. 484 दिनांक 21.7.14 के द्वारा विवादित आराजियात ख.नं. 157 ता 159, 162 कुल रकबा 3.04 है0 में से अपना संपूर्ण हिस्सा बेचान किया जा चुका है वर्तमान में खातेदार मोहरी देवी की मृत्यु होने पर विरासत प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 6 के नाम हुई है। चूंकि प्रार्थी द्वारा पूर्व में बिना बंटवारा करवाये अपने हिस्से की भूमि बेचान कर चुका है तथा विरासत से आई विवादित आराजियात ख.नं. 157 ता 159, 162 कुल रकबा 3.04 है0 में 1/210 हि0 प्राप्त हुआ है जिसमें बंटवारे की आड़ में अप्रार्थीगण को स्थगन से पाबन्द करवाना चाहा है। चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर बाहमी बंटवारा के आधार पर काबिज काश्त है तथा प्रार्थी ने अपने आवेदन की मद सं. 4 में स्वंय मानकर आया है कि पक्षकार अपने अपने हिस्से पर कभी शामिल में व कभी अलग अलग अपने हिस्से की आराजी को काश्त कर जीवकोर्पाजन करते चले आ रहे है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत आरआरडी 2008 पेज 762 कर्मजीतकौर बनाम गुरदीपसिंह व अन्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि संयुक्त खातेदारी की भूमियां में सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने अथवा उसके उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता । संयुक्त खाते की

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

भूमि में समस्त अंशधारी पूर्ण भूमि पर काबिज होते है, अतः उनमे से किसी एक को अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका जा सकता। उपरोक्त विवेचन आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अकेले प्रार्थी के पक्ष में नहीं है तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के साथ ही अप्रार्थीगण को भी होगी। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी का आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 06.07.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ